

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

49 / 2021  
11.08.2021

राजयोगेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला  
टोंक, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज०  
-- अपीलान्त

बनाम

- 1-जिला रसद अधिकारी टोंक राज०  
2-राजस्थान राज्य जरिए जिला रसद अधिकारी टोंक राज०

--रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का  
विनियमन) आदेश 1976 विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी टोंक दिनांक 22.04.2021  
प्रकरण सं० 56/20 एवं 01/2021 उनवान राजस्थान सरकार बनाम राजराजेश्वर सिंह

उपस्थिति:-1.श्री विक्रम जैन, अभिभाषक -अपीलान्त की ओर से  
2.श्री रामभजन मीणा पेशकार सरकार -रेस्पाडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.06.2022

अपील अपीलान्त सांराश में इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई की जाँच रिपोर्ट पर जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 22.04.2021 के द्वारा अपीलान्त की उचित मूल्य की दुकान झिलाय में अनियमितताएँ पाये जाने के कारण अपीलान्त की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/रुपये जप्त सरकार करने का आदेश पारित किया है। इस आदेश से अपीलान्त अप्रसन्न होकर उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय पेशकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांत को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर एक पक्षीय रूप से उक्त आदेश पारित किया गया है। सीडिंग कार्य के सम्बन्ध में जो नोटिस अपीलांत को जारी किया गया था, वह विधि विरुद्ध जारी किया गया था। अपीलांत द्वारा नियमानुसार अपने पूर्ण प्रयासों से सीडिंग कार्य किया जा रहा था। अपीलांत द्वारा आधार कार्ड, राशन कार्ड धारकों के घर-घर जाकर एकत्रित कर सीडिंग कार्य करवाया गया है, किन्तु कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अपीलांत को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवाये गये, उनके राशन कार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण और कुछ के नाम डिलीट करवाने योग्य



  
**जिला कलेक्टर**  
टोंक



थे, जिसकी सूचना अपीलांट ने वाट्सअप के जरिये भिजवाये गई थी, परन्तु वह नाम गो डिलीट नहीं हो पाये थे। इस कारण शेष लोगो की सीडिंग का कार्य लम्बित था। अपीलांट की कोई लापरवाही नहीं थी। अपीलांट अपनी क्षमता के अनुसार सीडिंग कार्य करना लगा हुआ था, परन्तु तकनीकी आधार पर शेष लोगो का सीडिंग कार्य नहीं हो पा रहा था। कुछ लोगो के आधार कार्ड बने हुए नहीं थे, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी अंगूठा निशानी नहीं आने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहे थे और कुछ लोगो की आधार कार्ड स्लीप खो जाने के कारण सीडिंग का कार्य अटका हुआ था, जिसमे अपीलांट की कोई गलती नहीं थी।

अपीलांट को विधि विरुद्ध तरीके से नोटिस प्रेषित किया गया है और राजनैतिक द्वेषतावश अपीलांट के विरुद्ध उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलांट की दुकान पर 12 क्विंटल गेहू भी अधिक नहीं पाया गया है। अपीलांट से सीडिंग कार्य में आ रही तकनीकी त्रुटि के कारण विभाग के कर्मचारी द्वेषता रखे हुए थे और विधि विरुद्ध तरीके से अपीलांट को 12 क्विंटल गेहू अधिक पाये जाने के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किया गया है। अपीलांट की दुकान का विधि अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अपीलांट की दुकान में मौजूद बोरियो को तोला नहीं गया है और प्रत्येक बोरी को तोलकर उसका वजन नहीं लिखा गया है और विधि विरुद्ध तरीके से अपीलांट की दुकान में 12 क्विंटल गेहू अधिक होना बताये गये है। अपीलांट की दुकान में आवंटन के अनुसार उतना ही गेहू था, जितना उसके स्टॉक रजिस्टर में था। वास्तविकता में आरएफसी के कट्टे फटे हुए होने के कारण कई बार गेहू को बचाने हेतु अन्य कट्टो में भरना होता है। कट्टो की गिनती भी बाहर निकालकर नहीं की गई है।

अपीलांट की दुकान छोटी है और अपीलांट ने उसमें गेहू अपनी सुविधा के अनुसार जमा कर रखा हुआ था, जांच अधिकारी को भौतिक सत्यापन करना था तो प्रत्येक बोरी को निकालकर उसका वजन लेना था और उसका एक चार्ट तैयार करना था, परन्तु ऐसा कोई कार्य जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। उचित मूल्य की दुकान पर कोई अनियमितता पायी जाती तो उसी समय माल जप्त कर लिया जाता, जबकि मौके पर कोई माल जप्त नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य दुकान में अटेच करवाया गया है। जांच अधिकारी ने अपीलांट के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उन्होंने अपीलांट को कहा था कि मौके पर सीडिंग कार्य की जांच करने आये है, इस बाबत मौका रिपोर्ट बनवानी है और रिपोर्ट हम ऑफिस में जाकर बना लेगे और इस प्रकार उन्होंने अपीलांट के खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये गये है। सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची का भी अंकन था, लेकिन सूचना बोर्ड को बच्चो द्वारा मिटा दिया जाता है, खाद्य सुरक्षा सूची भी जब बच्चे बाहर खेलते है तो कई बार खेल-कूद में फाड देते है। अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी ने उक्त आदेश अपीलांट को साक्ष्य सबूत एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना ही विधि विरुद्ध तरीके से पारित किया है। आदेश 1976 के नियम 8 (2) यह कहता है कि No Order Of Cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation

“ अर्थात् उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करने से पूर्व युक्तियुक्त अवसर देना चाहिये था। उक्त प्रावधान आज्ञापक प्रावधान है। जिसकी पालना जिला रसद अधिकारी द्वारा नहीं की गई है। तथाकथित शिकायतकर्ताओ को भी प्रवतक निरीक्षक ने न्यायालय जिला रसद अधिकारी टॉक के समक्ष पेश नहीं किया है। तथाकथित शिकायतकर्ताओ से जिरह करने का भी अपीलांट को अवसर प्रदान नहीं किया



जिला कलेक्टर  
दो.क

गया है। ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रवर्तक निरीक्षक के तयान सन प्रकरण मे लेखबद्ध नही हुए है और ना ही प्रवर्तक निरीक्षक से जिरह वरना प्रमाण प्रदान किया गया है। राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक प्रदार्थ (निर्माण व वितरण) ) आदेश 1976 की धारा 8 व 9 दण्डात्मक धारा है । उक्त दण्डात्मक धाराजा मे अपील को साबित करने के लिये सन्देह से परे साक्ष्य पेश होनी चाहिये थे, जो पेश नही किये गये है। जिला रसद अधिकारी ने मात्र राजनैतिक दबाव के कारण अपीलांट का लाइसेंस निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतः जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2021 को निरस्त कर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अपीलांट ( दुकान पोस कोड नं 0 2670 ) के विरुद्ध दिनांक 23.12.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अपीलांट को बार-बार निर्देशित करने पर भी उसके द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में सीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, तथ्यों के सत्यापन हेतु पुनः प्रवर्तन निरीक्षक निवाई से रिपोर्ट ली गयी। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि अपीलांट को 487 आधारकार्ड सीडिंग करवाने थे जिसमें से उसके द्वारा 273 अर्थात् 56.06 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य किया गया। अपीलांट की दुकान का खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर अपीलांट की दुकान में भौतिक सत्यापन में 12 क्विंटल गेहूं अधिक पाये गये। वक्त निरीक्षण गोदाम में कट्टे व्यवस्थित रखने की सुविधा नहीं पायी गयी। दुकान में शिकायत पुस्तिका नहीं पायी गयी। दुकान में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची, स्टॉक का विवरण एवं लाभार्थियों की राशन पात्रता का विवरण नहीं पाया गया। मौके पर निरीक्षण दल को अपीलांट द्वारा स्टॉक की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया।

अपीलांट द्वारा समयबद्ध रूप से पूर्ण सीडिंग करवाने के प्रयास नहीं किया गया , सीडिंग मात्र 59.06 प्रतिशत ही करवायी गयी एवं खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दुकान के किये गये निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता का अपीलांट द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया । इस प्रकार अपीलांट द्वारा राजकीय निर्देशों की पालना नहीं करना गम्भीर अनियमितता है एवं खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी अनियमितता प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना है तथा अपीलांट (डीलर) द्वारा गबन नही किया गया है। अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने प्राधिकार पत्र कि शर्तों का उल्लंघन किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई द्वारा अपीलांट के विरुद्ध दिनांक 23.12.2020 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि अपीलांट को बार-बार निर्देशित करने पर भी उसके द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना में सीडिंग कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, तथ्यों के सत्यापन हेतु पुनः प्रवर्तन निरीक्षक निवाई से रिपोर्ट ली गयी। प्रवर्तन निरीक्षक निवाई ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 को प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि अपीलांट को 487 आधारकार्ड सीडिंग करवाने थे जिसमें से उसके द्वारा 273 अर्थात् 56.06 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य किया गया। अपीलांट की दुकान का खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के



जिला कलेक्टर  
टोंक

जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर अपीलान्ट की दुकान में भौतिक सत्यापन में 12 किचेंटल गेहूं अधिक पाये गये। वक्त निरीक्षण गोदाम में कट्टे व्यवस्थित रखने की सुविधा नहीं पायी गयी। दुकान में शिकायत पुस्तिका नहीं पायी गयी। दुकान में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की सूची सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची,स्टॉक का विवरण एवं लाभार्थियों की राशन पात्रता का विवरण नहीं पाया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा 273 आधार कार्ड, राशनकार्ड धारकों के घर-घर जाकर एकत्रित कर सीडिंग कार्य करवाया गया है। तकनीकी आधार पर शेष लोगो का सीडिंग कार्य नहीं हो पा रहा था। कुछ राशनकार्डधारियों की उम्र ज्यादा होने के कारण उनकी अंगूठा निशानी नहीं आने के कारण आधारकार्ड नहीं बन पा रहे थे। अपीलान्ट की दुकान का विधि अनुसार भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। सूचना बोर्ड पर मूल्य सूची का भी अंकन था, लेकिन सूचना बोर्ड को बच्चो द्वारा मिटा दिया जाता है,खाद्य सुरक्षा की सूची भी जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो कई बार खेल-कूद में फाड़ देते हैं।

जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि डीलर द्वारा मौकें पर खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग भारत सरकार के जांच दल द्वारा दिनांक 01.09.2020 को निरीक्षण करने पर जांच अधिकारी को स्टॉक की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया गया,जबकि नियमानुसार जांच अधिकारी को भौतिक सत्यापन करते समय डीलर से स्टॉक रजिस्टर प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री का मिलान करना चाहिये था और प्रत्येक कट्टे को बाहर निकालकर उसका वजन लेना था और उसका एक चार्ट तैयार करना था,परन्तु ऐसा कोई कार्य जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। मौके पर कोई माल जप्त नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य दुकान में अटेच करवाया गया है। परोकार सरकार ने दोराने बहस अपीलान्ट (डीलर) द्वारा गबन नहीं किया जाना स्वीकार किया है। जिला रसद अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22.04.2021 में अपीलान्ट (डीलर) का नाम श्री राजराजेश्वर सिंह अंकित किया है,जबकि पत्रावली में पत्राचार श्री राजयोगेन्द्र सिंह के नाम से किया गया है। उपरोक्त विवेचन से जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का निर्णय दिनांक 22-04-2021 अपास्त किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड की जांच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22-06-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी  
(चिन्मयी गोपाल)  
जिला कलेक्टर  
टोंक